

#12/0

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदम सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लुनावाहन)



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 756 तारख दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.म.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का नुवा	70	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पाठना बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>आंजीबाई पवि अर्दन आड सा. देड रखन बडौदा राजस्थान द्वितीय ग्रामीण बैंक व्याख्या उपस्थित</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>आंजीबाई पवि अर्दन आड सा. देड रखन राजस्थान ग्रामीण बैंक व्याख्या उपस्थित 03.10.25</p> <p>तहसीलदार कपासन जिला-चितौडगाढ (राज.)</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशाखा स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>लुनावाहन</u> का बडौदा नुवा नुवा खोले जाते हैं।</p> <p>वर्तमान प्रविष्ट बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरापद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>खातासं <u>70</u></p>

हस्ताक्षर/प्रिदायक
3/10/2025
प.सं. 756

हस्ताक्षर/प्रिदायक
रखन

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन
(उपखण्ड अधिकारी)

कपासन जिला-चितौडगाढ